कांचेरला लक्ष्मीनारायण

बनाम्

मट्टपर्थी आर्थ श्यामला और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2001/2008)

14 मार्च, 2008

**[** एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर**,** जे जे.**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 21, नियम 58, परन्तुक खंड (ए)-निष्पादन-नीलामीः

समय कारक - बिक्री की पुष्टि नहीं हुई थी - नीलामी और नीलामी बिक्री को पृथक करने पर आपत्ति - रख-रखावः रख-रखाव योग्य - केवल नीलामी आयोजित करने से आपत्तियों पर रोक नहीं लगेगी - नियम 58 के परन्तुक के खंड (क) में 'बेचा' शब्द को नीलामी की पुष्टि सहित पूर्ण बिक्री के रूप में समझा जाएगा।

पथ कारक-पर कथित खरीदार द्वारा आपत्ति बिक्री समझौते के आधार पर मुकदमा दायर किया गया जो नहीं था विक्रेता ने मना कर दिया। बिक्री के समझौते के आधार पर कथित क्रेता द्वारा आपत्ति - आयोजितः क्रेता पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास आपत्तियां लेने का कोई

अधिकार नहीं है क्योंकि उसने बिक्री के समझौते के आधार पर मुकदमा दायर किया था जिसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था।

दूसरे उत्तरदाता ने मुकदमा संपत्तित्ति की बिक्री के समझौते को निष्पादित किया और प्राप्त आंशिक प्रतिफल राशि प्राप्त की। हालाँकि, वह कई अनुरोध के बावजूद बिक्री विलेख को निष्पादित करने में विफल रहाए अपीलार्थी ने बिक्री समझौते के निष्पादन के लिए एक विशिष्ठ मुकदमा दायर किया। इसके बाद पहले प्रतिवादी जो दूसरे प्रतिवादी की पत्नी थी, ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर किया और उसमें दूसरे प्रत्यर्थी को संपत्तियों को अलग करने से रोकने का निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया। यह मुकदमा अधिनिर्णित किया गया था। द. प्रथम प्रतिवादी ने रखरखाव के बकाया की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर की, लेकिन दूसरे प्रतिवादी ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और इसके बजाय आदेश को अपास्त करने के लिए आई. ए. दायर किया। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया।

प्रथम प्रत्यर्थी ने फिर से अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए निष्पादन दायर की। एक सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया गया था और निलामी की गई जिसमें तीसरा प्रत्यर्थी द्वारा सूट की संपत्ति खरीदी गई।

अपीलार्थी ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के तहत याचिका दायर की जिसमें निलामी पर

आपत्ति जताने एवं बिक्री पर अपीलार्थी के दावें को घोषित करने हेतु निवेदन किया गया जो कि अपीलार्थी द्वारा दायर किये गये विशिष्ठ मुकदमे के दावें के अधीन है जो लंबित था। इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरकरार रखा था कि एक बार बिक्री के निष्पादन के दौरान कोई भी आपत्ति महत्वहीन होती है, और आवेदन अपूष्ट होगा। इसलिए वर्तमान अपील

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा

अभिनिर्धारित 1. उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के खंड (ए) के प्रावधानों पर कायम होना त्रुटिपूर्ण था। मात्र निलामी आयोजित करने एवं उसकी आपत्तियों पर रोक नहीं है। चूंकि बिक्री की पुष्टि नहीं हुई थीए इससे काफी फर्क पड़ा। "बेचा" शब्द सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 58 के परंतुक के खंड (ए) में जिसका अर्थ है नीलामी की पुष्टि सहित एक पूर्ण बिक्री। जो कि नहीं हुआए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्ति गैर-स्थापित या असमर्थनीय थी जैसा कि उच्च द्वारा और विचारण न्यायालय द्वारा माना गया है। [ पैरा 10,16] [240-एफ; 234-बी-सी]

एम/एस। मगुंटा माइनिंग कं. वी. एम. कोंडरामिरेड्डी और अन्र। ए.आई.आर (1983) ए.पी 335-पुष्टि की।

वन्नारक्कल कल्लालाथिल श्रीधरन बनाम। चंद्रमाथ बालकृष्णन और अन्र। ( 1990 ) 3 एस. सी. सी. 291; रंग रामचंद्र कुलकर्णी बनाम. गुरलिंगप्पा चिन्नाप्पा मुथल एयर 1941 बम। 198 ; यशवंत शंकर दुनाखे बनाम। प्याराजी नूरजी तंबोली ए. आई. आर. 1943 बम 145; कोचुपोंची वरुघीस बनाम। औसेफ लोनन ए. आई. आर. 1952 टी. सी. 467; केवल सिंह बनाम। उमेश मिश्रा ए. आई. आर 1983 226 [ 2008 ] 5 एस सी आर। पटना 303-संदर्भित।

2. यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी के पास सुने जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि बिक्री पर आपत्ति उठाने का कारण साधारण है जो कि उसने बिक्री के समझौते के आधार पर मुकदमा दायर किया था। बिक्री समझौते का तथ्य दूसरे उत्तरदाता द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए क्या बिक्री का समझौता उस समझौते के आधार पर अपीलकर्ता को विशिष्ट निष्पादन का अधिकार देने वाला एक अच्छा बिक्री समझौता था] यह अनिवार्य रूप से मुकदमे में बाद में तय किया जाने वाला प्रश्न है (हालांकि मुकदमा पहले प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे से पहले का है)। ऐसी परिस्थितियों में संपत्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और अपीलकर्ता जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास बिक्री के समझौते के रूप में संपत्ति का दायित्व था, उसे पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता था, जिसके पास आपत्तियां लेने का कोई अधिकार

नहीं था। [ पैरा 14] [238-एफ-एच; 239-ए]

अधिकांश। पुफुप देई कुर बनाम। रामचरितर बरही आकाशवाणी (1924) पैट। 76 ; जानकी मोहन और अन्र। वी. डॉ. एस. समद्दर और अन्य। आकाशवाणी (1962) पटना 403; षष्ठी चरण विश्वन बनिक और अन्य। वी.गोपाल चंद्र साहा और अन्य। ए. आई. आर. (1937) कैल 390; माउंट। पूहुपदेई कुआर वी। रामचरितर बरही और अन्य। आकाशवाणी (1924) पटना 76; सी। जगन्नाधन बनाम। पदय्या एयर (1931) मैड 782; पूर्णा चंद्र बसाक बनाम। दौलत अली मुल्ला ए. आई. आर. 1973 कैल. 432 ; देशबंदू गुप्ता बनाम। एन. एल. आनंद और राजिंदर सिंह (1994) 1 एस. सी. सी 131 - संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2001 सन् 2008

मद्रास उच्च न्यायालय के सी. एम. ए. सं. 3245 सन् 2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.03.2007 से

अपीलार्थी के लिए पी. एस. नरसिम्हा, वी. पट्टाभिराम, एल. रोशनी, मंदाकिनी शर्मा और एस. एस. धर्म तेजा।

उत्तरदाताओं के लिए के. वी. विश्वनाथन, ए. रमेश, के. राजीव, आर. चंद्रचूड़ जी. माधव, टी. एन. राव और के. शारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय वी. एस. सिरपुरकर, जे. द्वारा दिया गया था

1. अपील स्वीकार की गई।

2. यहां अपीलकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 के तहत दायर सिविल विविध अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के बर्खास्तगी के फैसले को हमारे सामने चुनौती दी गई है। यह अपील 2002 की निष्पादन याचिका संख्या 15 में 2003 के निष्पादन आवेदन संख्या 9 में अधीनस्थ न्यायाधीश, यानम द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.9.2004 के खिलाफ दायर की गई थी। उक्त निष्पादन आवेदन आदेश 21 नियम 58 के तहत दायर किया गया था, जिसके तहत अपीलकर्ता ने मुकदमे की संपत्ति पर कुर्की बढ़ाने के लिए या 2000 के मूल सूट ओएस नंबर 31 में दावे के अधीन बिक्री की घोषणा करने के विकल्प के लिए प्रार्थना करने की मांग की थी। निम्नलिखित तथ्य विवाद को उजागर करेंगे।

3. इसमें दूसरे उत्तरदाता, अर्थात् मट्टपर्थी सत्यम के पास 14 एकड़ भूमि थी। उन्होंने उक्त भूमि को बिक्री के लिए रखा और वर्तमान अपीलार्थी ने उच्चतम बाजार मूल्य आर s.29,000/- प्रति एकड़ की पेशकश की, अपीलकर्ता से 1 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के बाद 20 मार्च, 1993 को अपीलकर्ता के पक्ष में 14 एकड़ के लिए बिक्री का एक समझौता निष्पादित किया। उसके बाद अपीलकर्ता ने 2 लाख रूपये 27.3.1993 को एवं 20 हजार रूपये 16.4.1993 का भुगतान किया जिसका पृष्ठांकन दूसरे प्रतिवादी द्वारा समझौते के पीछे की तरफ किया गया था। दूसरा उत्तरदाता

पंजीकृत बिक्री विलेख को कई अनुरोधों के बावजूद निष्पादित करने में विफल रहा और इसलिए, वर्तमान अपीलार्थी नेअधीनस्थ न्यायाधीश पांडिचेरी के समक्ष बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मूल मुकदमा संख्या 605 सन् 1996 दायर किया गया, जिसे बाद में उप न्यायालय, यानम में स्थानांतरित कर दिया गया और 2000 के मूल सूट संख्या 31 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। उक्त मुकदमा अभी भी लंबित है।

4. वर्ष 2000 में, पहले प्रतिवादी, जो कोई और नहीं बल्कि दूसरे प्रतिवादी की पत्नी है, ने भरण-पोषण का मामला परिवार न्यायालय, यानम के समक्ष ओपी संख्या 34 सन् 2000 दायर किया। उसने दूसरे प्रतिवादी को अनुसूची संपत्तियों को अलग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की एक आईए संख्या 582 सन् 2000 दायर की और यह आवेदन 17.2.2000 को मंजूर कर लिया गया। इस याचिका को भी उप न्यायालय यानम में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे ओएस नंबर 63 सन् 2000 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। इसके बाद यह सूट 22.1.2002 को तय किया गया था। मूल वाद संख्या 63 सन् 2000 में पारित डिक्री के आधार पर दूसरे प्रतिवादी द्वारा पहले प्रतिवादी को देय भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली हेतु निष्पादन याचिका संख्या 10 सन् 2002 दायर की गई। दूसरे प्रतिवादी ने रखरखाव के बकाया का भुगतान नहीं किया,

बल्कि उपरोक्त डिक्री दिनांक 22.1.2002 को रद्द करने के लिए उप न्यायालय, यानम के समक्ष 2000 के ओएस नंबर 63 में 2003 का आईए नंबर 4 दायर किया। हालाँकि, इस आवेदन को भी गुण-दोष के आधार पर 27.2.2003 को खारिज कर दिया गया थाए उसके बाद पहले प्रतिवादी ने 2000 के ओएस नंबर 63 में पारित आदेश दिनांक 22.1.2002 के डिक्री के निष्पादन के लिए उप न्यायालय] यानम के समक्ष 2002 का नंबर 15 ई.पी. दायर किया। उस निष्पादन आवेदन में एक सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया गया था और वही किया गया था 2.7.2003 को आयोजित की गई जिसमें सार्वजनिक नीलामी में तीसरे प्रतिवादी ने उक्त वाद संपत्ति खरीदी। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ता ने ओएस नंबर 63 सन् 2000 में ई.पी. संख्या 15 सन् 2002 में आदेश 21 नियम 58 के प्रावधानों के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उक्त नीलामी पर आपत्तियां उठाना और बिक्री की घोषणा करने का निवेदन किया गया, जो 2000 के ओएस नंबर 31 में अपीलकर्ता के दावे के अधीन है।, जो उप न्यायालय, यानम की फाइल पर लंबित था। इस आवेदन को 2003 के निष्पादन आवेदन संख्या 9 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उक्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 9.9.2004 के उक्त बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ अपील दायर की। हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने 2004 के सीएमए 3254 में आदेश दिनांक 16.3.2007 द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन चलने योग्य नहीं था। मद्रास

उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट का तर्क यह प्रतीत होता है कि एक बार निष्पादन के दौरान बिक्री हो जाती है, तो उठाई गई आपत्ति का कोई परिणाम नहीं होगा और आवेदन अस्थिर होगा। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार उस स्तर के प्रश्न पर विचार किया गया जिस पर आपत्ति हो सकती है इस पर विचार किया गया है कि ऐसी आपत्ति परंतुक के खंड (ए) की भाषा की पृष्ठभूमि में मान्य नहीं होगी। आदेश 21 नियम 58। इस प्रकार तनाव उस अवस्था में होता है जिस पर आपत्ति उठाई जा सकती है (या वह समय जब आपत्ति की जाती है) उठाया)। ये समवर्ती आदेश अब हमारे समक्ष चुनौती में हैं।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नरसिम्हा ने हमें आदेशों के माध्यम से लिया और तर्क दिया कि निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा इस आशय से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि निष्पादन आवेदन मान्य नहीं है जो स्पष्ट रूप से गलत है। इसके विरुद्ध प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विश्वनाथन तथा तीसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री चंद्रचुटी ने आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आदेश 21 नियम 58 के तहत पूर्ण नीलामी के मद्देनजर, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि अपीलकर्ता का दावा बिल्कुल भी मान्य नहीं था। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि अपीलकर्ता का दावा बिल्कुल तर्कसंगत है या नहीं।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमें दोनों आदेशों के बारे में बताया और सबसे पहले बताया कि अपीलकर्ता का मुकदमा उप न्यायालय, पांडिचेरी के समक्ष ओएस नंबर 605/96 था, जिसे बाद में उप न्यायालय, यनम में स्थानांतरित कर दिया गया और ओएस नंबर 31/2000 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था जो उस समय से पहले का था।। उस मुकदमे से यह स्पष्ट है कि पहला प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी की पत्नी थी। यद्यपि वह उपरोक्त मुकदमे के लंबित होने के बारे में पूरी तरह से जानती थी, न केवल एक और मुकदमा दायर किया बल्कि एक डिक्री भी लाई। अपीलकर्ता के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त डिक्री मिलीभगतपूर्ण थी। मानो यह पर्याप्त नहीं था, उसने वह संपत्ति भी कुर्क कर ली जो 2000 के ओएस नंबर 31 का विषय था और इसे 2.7.2003 को एक सार्वजनिक नीलामी में बेचा गया। बताया गया कि बिक्री की पुष्टि नहीं हुई थी। इसलिए, विद्वान वकील ने बताया कि अपीलार्थी ने नहीं क्योंकि वर्तमान अपीलार्थी अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति होगा संपत्ति के संबंध में दायित्व के कारण स्थायी अधिकार होना। विद्वान वकील के अनुसार ये दो कारक, अर्थात्, आपत्ति लेने के समय और आक्षेपकर्ता के स्थान पर विचार किया जाना चाहिए और जबकि नीचे की अदालतों ने केवल " समय कारक "या" चरण कारक " पर विचार किया, अदालत ने " लोकस कारक " पर विचार नहीं किया ।

7. इसके विरूद्ध विद्वान वकील श्री विश्नाथन द्वारा एक तर्क उठाया

गया था कि पत्नी, प्रप्रतिवादी नंबर 1 ने एक पत्नी के रूप में अपने व्यक्तिगत अधिकार में फैमेली कोर्ट में 2000 का ओपी नंबर 34 दायर किया था। उसने दूसरे प्रप्रितिवादी को अनुसूची संपत्तियों को अलग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश भी सुरक्षित कर लिया था क्योंकि वह संपत्ति को संरक्षित करने में रूचि रखती थी ताकि वह उस संपत्ति से अपना भरण-पोषण वसूल कर सके और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यह बताया गया है कि निषेधाज्ञा दी गई थी और हालांकि इसके बारे में एक प्रकाशन भी हुआ था, लेकिन अपीलकर्ता ने कभी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उक्त ओपी जिसे 2000 के ओएस 63 के पुनः क्रमांकित किया गया था, अंततः डिक्री हो गया और रखरखाव की बकाया राशि की वसूली के लिए 2000 के निष्पादन याचिका संख्या 10 दाखिल करने में पहले प्रप्रितिवादी की ओर से कुछ भी गलत नहीं था और जब दूसरे प्रप्रितिवादी ने ऐसा किया तो आदेशों का पालन नहीं करने पर, उसे रखरखाव की बकाया राशि की वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा अनुसूची संपत्ति की बिक्री के लिए 2002 के निष्पादन याचिका संख्या 15 दायर करने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि दूसरे प्रतिवादी ने कभी भी उन्हें 2000 के ओएस नंबर 31 के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसलिए विद्वान वकील ने दावा किया कि पहले और दूसरे प्रप्रितिवादी के बीच कोई मिलीभगत नहीं थी और उनके भरण-पोषण के अधिकार किसी भी उक्त मुकदमे से स्वतंत्र है जो 18 साल पहले उत्पन्न हुआ था। जब

उसकी शादी दूसरे प्रतिवादी के साथ संपन्न हुई थी। हमारा ध्यान दूसरे प्रतिवादी द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए जवाब पर भी गया जहां दूसरे प्रतिवादी ने समझौते से इनकार कर दिया था। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित समझौता केवल सुरक्षा के माध्यम से था क्योंकि अपीलकर्ता ने दूसरे प्रतिवादी क ओर से मैटापर्थी श्यामला और अन्य को भुगतान करने के लिए 1 लाख रूपये की अग्रिम राशि दी थी। यह बताया गया कि दूसरे प्रतिवादी ने बेचने के ऐसे किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया था। इसलए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को विशेष रूप से आदेश 21 नियम 58 के तहत् पूर्ण नीलामी के मद्देनजर मान्य नहीं माना।

8. यहां तक कि तीसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वह 2.7.2003 को आयोजित नीलामी का एक वास्तविक खरीदार था और वह सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था और उसे 2000 के ओएस नंबर 31 के बारे में पता नहीं था। अपीलकर्ता उनका तर्क था कि वास्तव में अपीलकर्ता ने दूसरे प्रतिवादी के साथ मिलकर निष्पादन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि तीसरे प्रतिवादी ने पूरी बोली राशि अदालत में जमा कर दी थी और केवल बिक्री की पुष्टि होना बाकी थी।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील नरसिम्हा ने हमारा ध्यान आदेश 21 नियम 58 सीपीसी की भाषा की ओर आकर्षित किया जो इस प्रकार है:-

> ‘‘58. संपत्ति की कुर्की के दावों या आपत्तियों का न्याय निर्णयन। (1) जहां किसी डीक्री के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति पर कोई दावा किया जाता है, या उसकी कुर्की पर कोई आपत्ति इस आधार पर की जाती है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की के लए उत्तरदायी नहीं है, तो न्यायालय दावे पर फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ेगा। या इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार आपत्तिः
>
> बशर्ते कि ऐसे किसी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगाः
>
> (ए) जहां, दावा पेश करने या आपत्ति किए जाने से पहले, कुर्क की गई संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी है, या
>
> (ब) जहां अदालत मानती है कि दावा या आपत्ति जानबूझकर या अनावश्यक रूप से विलंबित की गई थी।
>
> (2)xxx xxx

(3)xxx xxx

(4)xxx xxx

(5)xxx xxx"

विद्वान वकील द्वारा नियम 58(1) के परंतुक के खंड (ए) की भाषा से यह इंगित किया गया है कि जहां कुर्की पर कोई आपत्ति इस आधार पर की जाती है कि ऐसी संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, अदालत को आगे बढ़ना होगा नियम के अनुसार दावे या आपत्तियों निणर्य देना। विद्वान वकील आगे तर्क देते है कि इस नियम में एक प्रावधान के रूप में एक शर्त है और यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे दावे या आपत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां सबसे पहले संलग्न संपत्ति पहले ही ''बेची''जा चुकी है। विद्वान वकील बताते है कि केवल मुकदमे की संपत्ति की नीलामी के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त संपत्ति बेची गई है, जिससे आपत्तिकर्ता के पास कुर्की पर आपत्ति करने का कोई अधिकार या अवसर नहीं रह जाता है। विद्वान वकील ने हमारा यान मैसर्स मामले में आंद्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया। मैगुंटा माइनिंग कंपनी बनाम एम. कोंडारामिरेड्डी और अन्य, 1 [एआईआर (1983) एपी 335] जहां आदेश 21 नियम 58 सीपीसी के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए एक आवेदन के आधार पर समान स्थिति उत्पन्न हुई थी। आपत्तिकर्ता कोई और नहीं बल्कि जजमेंट-देनदार का बेटा था जिसकी

संपत्ति नीलाम की गई थी। आपत्ति यह थी कि चूंकि उक्त संपत्ति के संबंध में एक पूर्व पट्टा था और चुंकि उस पट्टे के अनुसरण में आपत्तिकर्ता-अपीलकर्ता का उस पर कब्जा था और इसलिए, कुर्की वैध नहीं थी और उसे खाली करना होगा। एक आपत्ति यह भी उठाई गई कि जो संपत्ति कुर्क की गई थी, वह पहले ही बेची जा चुकी थी, इसलिए कुर्की पर आपत्ति और अपील निरर्थक हो गई है। इसलिए, न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा की गई अदालती बिक्री के प्रभाव से निपटा। यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश तक पहुंचने से पहले ही उन सभी वस्तुओं के संबंध में बिक्री पूरी हो चुकी थी, जहां डीक्री-धारक ने स्वयं संपत्तियां खरीदी थी। तथ्यों से यह भी पता चलता है कि वहां बिक्री की पुष्टि नहीं की गयी थी. माननीय जगन्नाध रोआ, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) के माध्यम से बोलते हुए डिवीजन बैंच ने पैरा 15 में कहा :

> "जब भी अचल संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ ओ. 21 आर. 58 सीपीसी के तहत कोई दावा किया जाता है, तो यह तथ्य कि संपत्तियां बेची गई है या बिक्री की पुष्टि की गई है, अदालत को दावे पर निर्णय लेने के अपने अधिकार से वंचित नहीं करेगा। दावे की जांच ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालत (संशोधित संहिता के तहत) द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है और दावे की अनुमति दिए जाने की स्थिति में,

बिक्री और बिक्री की पुष्टि को उस सीमा तक शून्य माना जाएगा और कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि निर्णय-देनदार के पास कोई शीर्षक नहीं था जो अदालत निलामी-क्रेता को भुगतान कर सकें।''

इस मामले पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए विद्वान वकील ने बताया कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय का कोई विपरीत निर्णय नहीं है और इसलिए, इसलिए इस निर्णय को अच्छा कानून माना जाना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में कि अपीलकर्ता के पास अधिकार क्षेत्र था, विद्वान वकील ने बताया कि अपीलकर्ता द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही, जो वाद की संपत्ति के संबंध में बिक्री के पूर्व समझौते पर आधारित था, बाद का मुकदमा रखरखाव के लिए पत्नी दायर किया गया था और डीक्री प्राप्त की गई थी और इसलिए, स्पष्ट रूप से से निर्णय-देनदार, दूसरा प्रतिवादी नीलामी बिक्री के दौरान एक साफ शीर्षक पारित नहीं कर सका और यह माना जाएगा कि वह बेहतर अधिकार पारित नहीं कर सका उसके पास खुद था विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अदालती बिक्री में नीलामी क्रेता को जो अधिकार दिए गए थे, वे बिक्री के समझौते के अधीन थे। इस प्रस्ताव के समर्थन में विद्वान वकील ने वन्नारक्कल कल्लालाथिल श्रीधरन बनाम चन्द्रमाथ बालकृष्णन और अन्य 2 [( 1990) 3 एससीसी 291 ] में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भरोसा किया, जहां स्थिति कमोबेश वैसी ही थी। इस

न्यायालय ने पैरा 9 में कहा:

> "-.बिक्री के लिए समझौता वास्तव में संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा एक दायित्व बनाता है और चूंकि संलग्न लेनदार केवल निर्णय-देनदार के अधिकार, शीर्षक और हित को संलग्न करने का हकदार है, इसलिए कुर्की इसके तहत किए गए दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती है। बिक्री के लिए अनुबंध-"

इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के रंग रामचंद्र कुलकर्णी बनाम। गुरलिंगप्पा चिन्नाप्पा मुथल [एआईआर 1941 बॉम। 198] और यशवंत शंकर दुनाखे बनाम। प्याराजी नूरजी तंबोली [ए. आई. आर. 1943 बम] 145 ] और त्रावणकोर का उच्च न्यायालय-कोचुपोंची में कोच्चि वरुघीस वी। ओउसेफ लोनान [एआईआर 1952 टीसी 467] फैसलों को माना था, उसी प्रभाव से अच्छा कानून है।

10. इन दो निर्णयों के आधार पर, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि निष्पादन याचिका में आपत्ति आवेदन को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था। मैगुंटा माइनिंग मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाना चाहिए कि केवल नीलामी आयोजित करने से उस पर आपत्तियों पर रोक नहीं लगती है। हमारी सुविचारित राय है कि इस मामले

में बिक्री की पुष्टि नहीं हुई थी और इससे काफी फर्क पड़ा। नियम 58 के परंतुक के खंड (ए) में "बेचा" शब्द को पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ नीलामी की पुष्टि सहित पूर्ण बिक्री है। ऐसा नहीं होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता की आपत्ति गलत या अस्थिर नहीं थी जैसा कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने माना है।

11. हालांकि केवल सिंह बनाम उमेश मिश्रा, 6 [एआईआर 1983 पटना 303] में एक कथित फैसले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जहां पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बैच ने माना कि "बेचा" शब्द प्रावधान (ए) में प्रयुक्त उस चरण का मतलब है जब संपत्ति की नीलामी अदालत द्वारा की जाती है और बोली अदालत द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यह शब्द बिक्री की पुष्टि के चरण को संदर्भित नहीं करता है जब इसे नियम 92 के तहत पूर्ण बना दिया जाता है। विद्वान न्यायाधीश जो प्रावधान की व्याख्या पर विचार कर रहे थे, कुछ तथ्यामक आधारों को साफ़ करने के बाद, फैसले के पैरा 7 में मुद्दे पर चर्चा की। इस निकर्ष पर पहुंचने पर कि "बेचा" शब्द में नियम 58 के तहत बिक्री शामिल होगी, भले ही इसे नियम 92 के तहत पूर्ण नहीं बनाया गया हो, विद्वान न्यायाधीश ने "बेचा", "बिक्री रदद्" और "बिक्री को रदद् कर दिया" शब्द को ध्यान में रखा है। बिक्री की पुष्टि की गई और पूर्ण कर दिया गया"। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि ये तीन शर्ते अदालती बिक्री के

संबंध में  तीन चरणों को संदर्भित करती है। जबकि नियम 58 में संपत्ति "बेची" जाने से पहले की गई आपत्ति का प्रावधान है, नियम 64 और उसके बाद बिक्री की घोषणा का प्रावधान है। विद्वान न्यायाधीश ने तब दो शीर्षको पर ध्यान दिया, एक चल संपत्ति की बिक्री के संबंध में और दूसरा नियम 82 अचल संपत्ति की बिक्री के संबंध में। इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने नियम 89, 90 और 91 पर ध्यान दिया। विद्वान न्यायाधीश ने यह नोट किया कि "बिक्री पूर्ण कर दी गई है" शब्द का निहितार्थ विशेष रूप से संहिता की धारा 65 में प्रदान किया गया है जो प्रदान करता है जहां अचल संपत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में बेची जाती है और ऐसी बिक्री पूर्ण हो गई है, संपत्ति क्रेता में उस समय से निहित मानी जाएगी जब संपत्ति बेची गई है, न कि उस समय से जब बिक्री पूर्ण हो गई है। तब विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "इस प्रकार, यह नियम इस महत्व का सूचक है कि यद्यपि बिक्री तब पूरी होती है जब इसे अंततः पूर्ण बना दिया जाता है, लेकिन बिक्री की तारीख से क्रेता का स्वामित्व निहित होता है। इस स्थान पर, यह देखा जा सकता है कि इस धारा 65 में दो शब्दों "बेची गई संपत्ति" और "बिक्री पूर्ण हो जाती है" का उपयोग किया गया है और एक ही खंड में उपयोग किए गए दो शब्द स्पष्ट रूप से बिक्री के दो चरणों

का सुझाव देते है। आयोजित किया गया और बाद में बिक्री को पूर्ण बना दिया गया। लेकिन वर्तमान मामले में मुझे जो निर्धारित करना है, वह ऊपर उल्लिखित आर. 58 के परंतुक में 'पहले से ही बेची गई संपत्ति' शब्द का अर्थ पता लगाना है। यह शब्द 'बिक्री आयोजित' की बात करता है' न कि 'बिक्री को पूण बना दिया गया है' और जैसा कि अंतर को चिंहित किया जा सकता है, धारा 58 में प्रयुक्त पूर्व शब्द का तात्पर्य है कि यह उस चरण को संदर्भित करता है जब 'बिक्री आयोजत क गई थी' न कि वह चरण जो बाद में आएगा जब "बिक्री पूर्ण हो जाएगी"। में इस न्यायालय की दो खंडपीठों के निर्णयों और कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय से इस दृष्टिकोण का समथन करता हूं-"

तब विद्वान न्यायाधीश ने मोस्ट में निर्णय का संदर्भ दिया। पुफुप देई कुआर बनाम रामचरितर बरही, [एआईआर 1924 पैट। 76] और अंततः यह मानने के लिए आगे बढ़े:

"मेरा विचार है कि 'संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी है' शब्द का प्रयोग सीएल के प्रावधान में किया गया है। आर.58 का (1) उस चरण को संदर्भित करता है जब बिक्री हुई थी और

उस चरण को संदर्भित नहीं करता है जब बिक्री पूर्ण हो जाती है।"

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया और बताया की मैसर्स मैगुंटा माइनिंग कंपनी के मामले (सुप्रा) में फैसले में अदालत ने धारा 65 सीपीसी के प्रभाव पर विचार नहीं किया था। इसलिए दोनों निर्णयों की शुद्धता या अन्यथा का निर्णय करना हमारा काम होगा।

12. मैसर्स मैंगुटा माइनिंग कंपनी के मामले में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर वापस लौटते हुए, यह देखा जाएगा कि अपने फैसले के पैरा 14 में विद्वान न्यायाधीश 21 नियम 59 के प्रभाव पर विचार किया। विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"ओ. 21 आरयू.59 सीपीसी के प्रावधानों से पता चलता है कि जहां किसी दावे को प्राथमिकता देने या आपत्ति करने से पहले और संलग्न संपत्ति को बिक्री के लिए पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है, अदालत, यदि संपत्ति अचल है, एक आदेश दे सकती है, जो लंबित है दावे या आपत्ति के न्यायनिर्णयन के बाद संपत्ति बेची नहीं जाएगी, या ऐसे न्यायनिर्णयन के लंबित रहने तक, संपत्ति बेची जा सकती है, लेकिन बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी और ऐसा कोई भी

आदेश सुरक्षा या अन्यथा जैसे नियमों और शर्तों के अधीन किया जा सकता है। जैसा न्यायालय उचित समझे। इसलिए यह प्रावधान प्रदान करता है कि अचल संपत्ति के संबंध में किसी दावे का निर्णय लंबित रहने तक अदालत बिक्री के साथ आगे बढ़ सकती है लेकिन पुष्टि पर रोक लगा सकती है। जाहिर तौर पर बिक्री की कार्यवाही में तेजी लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है ताकि दावा खारिज होने की स्थिति में आगे की कार्यवाही तेजी से चल सके। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक बिक्री की पुष्टि नहीं हो जाती, दावा स्वीकार होने की स्थिति में यथास्थिति बहाल की जा सकती है। यह माना गया है कि एक बार दावा याचिका की अनुमति मिलने के बाद बिक्री को शून्य माना जाएगा क्योंकि बेचा गया निर्णय-देनदार का हित वास्तव में उसका नहीं था और अदालत की नीलामी-खरीदार को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। चूंकि निर्णय-देनदार की उसमें कोई रूचि नहीं थी और क्योंकि बीबी उमातुल रसूल बनाम लाखो कुएर, [एआईआर (1941) पटना 405] के तहत दावेदार ने उन संपत्तियों में अपनी रूचि बरकरार रखी है। माधोलाल बनाम गजराबी में निर्णय भी इसी प्रभाव का है। [एआईआर (1951) नाग.194]

"ओ.21 आर.63 की शर्तें अनिवार्य हैं और वे घोषणा करते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन है। फूल कुमारी बनाम घनश्याम मिश्रा, (1907) आईएलआर 35 कैल 202: (35 इंड ऐप 22 (पीसी) में प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य ने बताया कि एस. 283, 1882 के सिविल पीसी के तहत एक मुकदमे का उद्देश्य जो मेल खाता है वर्तमान संहिता का ओ. 21 आर. 63 एक सारांश निर्णय को रद्द करने के लिए प्रभावी है। जब दावेदार संलग्न संपत्ति पर अपना हक घोषित करते हुए अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने में सफल हो जाता है और संपत्ति कुर्की और के लिए उत्तरदायी नहीं है किसी विशेष डिक्री के निष्पादन से निष्पादन अदालत की उस निष्पादन कार्यवाही में संपत्ति बेचने की शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। ओ. 21 आर. 63 के तहत एक मुकदमे में दावेदार की सफलता निष्पादन अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देती है। यदि यह परिणाम तो बिक्री अवश्य होनी चाहिए इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप ओ. 21,आर. 92, सिविल पीसी के तहत इसकी पुष्टि नहीं की जा सकेगी।"

इन टिप्पणियों से पता चलेगा कि आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने न केवल नियम 59 की भाषा और प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित माना, बल्कि संपत्ति में आपत्तिकर्ता के संबंध में पूर्व दायित्व के तथ्य और तथ्य पर भी विचार किया कि भले ही बिक्री नियम 58 के तहत की जाती है, यह आपत्तिकर्ताओं के दावों को नष्ट नहीं कर सकता है जो बिक्री से पहले बनाए गए थे। बिक्री के समझौते के आकार में पूर्व हित के प्रभाव के संबंध में इसी स्थिति को वन्नारक्कल कल्लालथिल श्रीधरन (उपर उद्धृत) के बाद के फैसले में ध्यान में रखा गया था, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय और त्रावणकोर-कोचीन के उच्च न्यायालयों के फैसले शामिल थे। अनुमत। इस प्रकार बिक्री को चुनौती देने के "समय कारक" पर विचार करते समय, निर्णय मुकदमे की संपत्ति में आपत्तिकर्ता के किसी पूर्व हित के कारण "लोकस स्टैंडी फैक्टर" पर भी विचार करता है। यह स्थिति पटना उच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, जिसनें केवल धारा 65 सीपीसी की भाषा को चुना है। हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए की भले ही धारा 65 सीपीसी के तहत, शीर्षक "बिक्री के बाद नियम 92 के तहत पूर्ण बना दिया गया है" बिक्री की तारीख से संबधित है, फिर भी यह आपत्तिकर्ता के पहले के अधिकारों और उसके हित के अधीन होगा। मुकदमें की संपत्ति में। इसलिए, हमारी राय में धारा 65 अपने आप में, उक्त परंतुक में "बेचा गया" शब्द की व्याख्या के संबंध में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेगी। एक बार यह आयोजित होने के बाद, जैसा कि वन्नारक्कल

कल्लालथिल में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। श्रीधरन के मामले में कुर्की अनुबंध के तहत दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती है, तो आवश्यक अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए कि बिक्री के तथ्य के बाद भी बिक्री पूर्ण होने से पहले आपत्ति बनी रहेगी। हमारी राय में, इसलिए, कानून मैसर्स मैंगुंटा माइनिंग कंपनी के मामले में आंद्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित केवल सिंह के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से बेहतर है।

13. हमने जानकी मोहन और अन्य मामले में रिपोर्ट किए गए पटना उच्च न्यायालय के विश्वसनीय निर्णयों की जांच की है। वी.डॉ.एस. समंद्दर एवं अन्य, 7[एआईआर 1962 पटना 403] जहां उच्च न्यायालय नें षष्ठी चरण बिस्वान बनिक एवं अन्य के मामलें में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। वी.गोपाल चन्द्र शाह और अन्य, 8[एआईआर 1937 कैल 390] और साथ ही माउंट पुहुपदेई कुआर बनाम रामचरितर बरही और अन्य, 9 में पटना उच्च न्यायालय का फैसला [एआईआर 1924 पटना 76]। हालाँकि, चूँकि हमने यह विचार किया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय सही है, उन निर्णयों का एक अच्छा कानून नहीं बनाने वाला माना जाएगा। सी. जगन्नाधन बनाम पदय्या, 10 [एआईआर 1931 मैड 782] में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है जो आंध्र प्रदेश निर्णय के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

हम उस दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हैं।

14. फिर, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलकर्ता के पास बिक्री पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने बिक्री के समझौते के आधार पर मुकदमा दाय/र किया था। बिक्री के समझौते के तथ्य को दूसरे प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, क्या बिक्री का समझौता उस समझौते के आधार पर अपीलकर्ता को विशिष्ठ प्रदर्शन का अधिकार देने वाला एक अच्छा बिक्री समझौता था, यह अनिवार्य रूप से मुकदमे में बाद में तय किया जाने वाला प्रश्न है (हालांकि मुकदमा पहले प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे से पहले का है।) ऐसी परिस्थितियों में संपत्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और अपीलकर्ता जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास बिक्री के समझौते के रूप में संपत्ति का दायित्व था, उसे पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता था, जिसके पास आपत्तियां लेने का कोई अधिकार नहीं था। यह वन्नारक्कल कल्लालथिल श्रीधरन के मामले में उपरोक्त निर्णय का अर्थ है। इसी आशय का निर्णय पूर्ण चंद्र बसाक दौलत अलली मोल्ला, 11[एआईआर 1973 कैल 432] जहां उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है:

> "एक कुर्की लेनदार केवल कुर्की की तारीख पर अपने देनदार के अधिकार, शीर्षक और ब्याज को संलग्न कर सकता है

और सिद्वांत रूप में, उसकी कुर्की उसे कुर्की की तारीख पर निर्णय-देनदार के मुकाबले कोई उच्च अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में बिक्री का अनुबंध है, तो उसके पास ऐसा पहले से मौजूद अधिकार है तो कुर्की उस पर बाघ्यकारी नहीं हो सकती है। यदि वादे को कुर्की के बाद, उसके अनुबंध के अनुसरण में, कन्वेन्शन मिलता है, तो वह कुर्की के बावजूद एक अच्छी टाईल लेता है।

टिप्पणियाँ केवल बिक्री के समझौते के महत्व को उजागर करेगी जो कुर्की के समय से पहले का है और साथ ही अपुष्ट बिक्री का भी।

15. विद्वान वकील देश बंदू गुप्ता बनाम एनएल आंनद और राजिंदर सिंह, 12 [ (1994)1 एससीसी 131] में इस न्यायालय की टिप्पणियों को पैराग्राफ 5 में भी बताते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव में है:

"नीलामी-खरीदार को बिक्री की पुष्टि पर ही अधिकार मिलता है और तब तक उसका अधिकार अस्पष्ट होता है और बिक्री की पुष्टि के लिए केवल विचार करने का अधिकार होता है। यदि बिक्री को नीलामी-क्रेता के हिस्से से अलग रखा रखा जाता है, तो डिक्री धारक प्रभावित होता है क्योंकि उसके डिक्री ऋण की वसूली बन्द हो जाती है और वह डिक्री ऋण

की वसूली के लिए नए सिरे से निष्पादन कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगा। "

(जोर दिया गया)

इस पर विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में बिक्री की पुष्टि होना बाकी थी, अपीलकर्ता को पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति मानने या उसके आवेदन को अस्थिर मानने का कोई सवाल ही नहीं था।

16. उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था आदेश 21 नियम 58 के प्रावधानों को आदेश 22 नियम 101 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, जो पार्टियों के अधिकारों से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अदालत के कर्तव्य का वर्णन करता है और निष्पादन न्यायालय प्रावधानों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा है और यह तय करना चाहिए था कि क्या पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के बीच डिक्री एक मिलीभगत डिक्री है जिसका उद्देश्य केवल अपीलकर्ता के अधिकार को पराजित करना है। नियम 58 और विशेष रूप से उसके खंड (ए) का उपरोक्त प्रावधान उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाने वाला एकमात्र प्रावधान था जो उच्च न्यायालय के निर्णय के आंतरिक पृष्ठ 10 में निम्नलिखित शब्दों में की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है:

"आदेश 21 नियम 58 सीपीसी का खंड 5 ऐसी स्थिति से

संबंधित है जहां उप-नियम (1) के परंतुक के तहत दावे या आपत्ति पर अदालत द्वारा विचार करने से इनकार कर दिया जाता है' जिस पक्ष के खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है वह विवाद कर सकता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन, यदि कोई हो, दावे या आपत्ति पर विचार करने से इनकार करने वाला आदेश निर्णायक होगा। नीलामी ब्रिकी में अधिक बोली लगाने वाले को क्रेता घोषित किया गया है और इसलिए, आदेश 21 नियम 58 सीपीसी का प्रावधान लागू होता है।"

हम पहले ही दिखा चुके है कि कानून में ऐसी स्थिति नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे सुझाव दिया कि केवल अनुबंध धारक नीलामी-खरीदार के ब्रिकी की पुष्टि करने के अधिकार को नहीं रोक सकता है। यह कथन भी कानून की दृष्टि से स्पष्ट रूप से गलत कथन है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने आदेश 21 सीपीसी के नियम 58 के खंड (ए) के प्रावधान पर भरोसा करने में पूरी गलती की थी। इसलिए, अपील सफल होनी चाहिए। इस प्रकार निष्पादन न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा।

17. उपरोक्त परिस्थितियों में अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले

के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

डी जी।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी  भानु कुमार (आर.जे.एस.) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौडगढ द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।